

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

हरिमन बनाम रामचरण वगै०

अपील संख्या

अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट

GCMS NO 2025/300

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.9.25	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 125/2025-	
	<p>अपील श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉय रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांत अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर के प्रकरण संख्या 27/25 रामचरण बनाम हरिमन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5.6.25 के विरुद्ध पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक पक्षीय आदेश है। जो अपीलांत को बिना सुने ही एक पक्षीय में पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि अपीलाधीन आदेश अवलोकन से होती है। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 27/25 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5.6.25 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण में नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब पेश करें तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में जबाब प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं को विवेचन करते हुए हस्तगत प्रकरण का अन्दर तीन माह में अंतिम निस्तारण करें।</p> <p>निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर</p>	

